राजस्व अपील संख्या : 77/2024
उनवान : पेमाराम उर्फ प्रेमाराम बनाम शान्ति देवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 77/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/01

अपीलाण्ट्स :–

पेमाराम उर्फ प्रेमाराम गोदपुत्र छोगाराम जाति घांची, निवासी तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. शांन्ति देवी पत्नी स्व. छोगाराम जाति घांची निवासी तखतगढ, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.
2. दीना पुत्री छोगाराम पत्नी पुखराज जाति घांची, निवासी तखतगढ़, हाल बांकली, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.
3. लीला पुत्री छोगाराम पत्नी महेन्द्र कुमार जाति घांची, निवासी तखतगढ़ हाल साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर
4. भरमा पुत्री छोगाराम पत्नी पुखराज जाति घांची निवासी तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 669 दिनांक 23.05.2007 जो नायब तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया को निरस्त करवाने बाबत्

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01,02,03 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांकः 07.07.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर के नागान्तरकरण संख्या 669 दिनांक 23.05.2007 जो नायब तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र पेश किया, अपील सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के पिता स्वर्गीय छोगाराम पुत्र गोमाजी ने अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार एवं हिन्दु परम्परा के अनुसार बाल्यकाल में गोद ले लिया था जिस गोदनामें की रस्म गोद लेने वाले पिता छोगाराम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 77/2024
उनवान : पेमाराम उर्फ प्रेमाराम बनाम शान्ति देवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

व उनकी पत्नी रेस्पोडेण्ट संख्या एक श्रीमती शान्तिबाई ने एवं गोद देने वाले अपीलाण्ट के प्राकृतिक पिता चौथमलजी व प्राकृतिक माता श्रीमती रकमा देवी ने अदा की थी एवं समाज व परिवार के रुबरु अपीलाण्ट को गोद लिया था अपीलाण्ट को गोद लेने की रस्म के बाद तारीख 29.11.1996 को गोद लेने वाले और गोद देने वाले पक्षकारों ने उपं पंजीयक कार्यालय सुमेरपुर में अपीलाण्ट के दत्तक ग्रहण के विलेख को पंजीबद्ध करवाया था जिस दस्तावेज का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय सुमेरपुर में तारीख 29.11.1996 को हुआ है। इस प्रकार अपीलाण्ट स्वर्गीय छोगाराम का गोदपुत्र है। स्व. छोगाराम के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा तखतगढ़, तहसील सुमेरपुर में खसरा नम्बर 75 रकबा 10.91 हैक्टर का 1/6 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 532 रकबा 7.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 533 रकबा 7.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 535 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 536 रकबा 5.25 हैक्टर कुल रकबा 21.50 हैक्टर में 1/6 हिस्से की आयी हुई स्थित है। स्व. छोगाराम के अपीलाण्ट गोद जाने के बाद उनके साथ में रहा उनकी सेवा चाकरी की ओर अपीलाण्ट के पिता छोगाराम की मृत्यु होने के बाद हिन्दु रीति रिवाज अनुसार उनके पीछे तमाम सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाक्रम अपीलाण्ट द्वारा सम्पूर्ण किये गये। अपीलाण्ट गोद जाने के बाद अपने माता पिता के साथ रहा एवं उनकी सेवा चाकरी की। अपीलाण्ट ज्यादातर अपने व्यवसायिक कार्य से बाहर कमाता है व रहता है। हाल ही में 15 दिन पूर्व अपीलाण्ट अपने घर तखतगढ़ आया तो रेस्पोडेण्ट तमाम ने कहा की स्वर्गीय छोगाराम जी की खातेदारी भूमि में तुम्हारा कोई हक नहीं लगता है एव हम जैसा चाहेगें वेसे इसका उपयोग, उपभोग करेंगें एवं तुम्हें मौके से बेदखल कर अपनी इच्छानुसार इसका अकृषि उपयोग हेतु परिवर्तन करवाकर इस भूमि को आगे बैचान कर देंगें। इस पर अपीलाण्ट ने तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष खातेदारी भूमि के फौतेदगी नामान्तरकरण की जानकारी हासिल की एवं तारीख 15.12.2023 को स्वर्गीय छोगाजी पुत्र गोमाजी के फौतेदगी नामान्तरकरण के नकल को प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल प्रार्थी को दिनांक 18.12.2023 को प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करवाने पर यह जानकारी हुयी की अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिता छोगाजी पुत्र गोमाजी की जगह केवल रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय चार ने पटवारी हल्का की मिलीभगती से केवल अपने नाम का नामान्तरकरण भरवाया एवं बिना किसी जांच के भू–अभिलेख निरीक्षक ने रिकॉर्ड से मिलान कर सही होना पाया के नोट सहित नायब तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष भेजा एवं उन्होंने किसी जांच के नामान्तरकरण संख्या 669 को दिनांक 23.05.2017 को स्वीकृत कर दिया।

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील का प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का विनिश्चय किया गया।

काविल अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि स्व. छोगाराम एवं उनकी पत्नी रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा अपीलार्थी को सामाजिक रुप से दत्तक पुत्र के रुप में ग्रहण किया था तथा गोदनामा दिनांक 29.11.2006 को पंजीबद्ध भी करवाया था। किन्तु दिनांक 01.02.1997 को स्व. छोगाराम की मृत्यू उपरान्त विवादग्रस्त आराजी में उनके हिस्से की भूमि में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही किया गया तथा आलोच्य नामान्तरकरण द्वारा एक लगायत चार के नाम का ही इन्द्राज किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 के उल्लंघन में दर्ज उक्त नामान्तरकरण विधि अनुकूल नहीं होने से अपास्त किया जाए।

यह भी, कि अपीलाण्ट को आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.12.2003 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर ही हुई तथा इस कथन के समर्थन में शपथपत्र भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम, स्वीकार कर देरी को कण्डोन करते हुए अपील स्वीकार फरमावें।

काविल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अपीलार्थी जिस गोदनामे के आधार पर स्व. छोगाराम की खातेदारी भूमि में हक़ मांगा है, उक्त गोदनामें को स्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 77/2024
उनवान : पेमाराम उर्फ प्रेमाराम बनाम शान्ति देवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

छोगाराम की पत्नी रेस्पोडेण्ट संख्या एक श्रीमती शान्तिदेवी ने शपथपत्र पर अस्वीकार किया है। यह भी, कि गोदनामें के आधार पर हक हकूक निर्धारण का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, न कि राजस्व न्यायालय को। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पहचान दस्तावेजों में कहीं भी पिता के रुप में स्व. छोगाराम का नाम अंकित नहीं है बल्कि समस्त दस्तावेजों में जायन्दा पिता श्री चौथाराम का नाम ही अंकित है। अप्रार्थीपक्ष की ओर से अपीलार्थी के पहचान दस्तावेजों की प्रतियां न्यायालय में पेश की गई, जो शामिल मिसल की गई।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने मियाद के प्रश्न पर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2012 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर में एक वाद गय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया था, जो प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2012 को प्रकरण संख्या 22/2012 के रुप में दर्ज हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में जैर अपील विवादग्रस्त खसरों का अंकन करते हुए तथा रेस्पो. संख्या एक लगायत चार को पक्षकार संयोजित करते हुए इस्तदुआ चाही गयी थी। अर्थात् अपीलाण्ट को विवादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेण्ट के नाम इन्द्राज की जानकारी दिनांक 09.04.2012 से ही है, और हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 में असत्य एवं गलगढ़न्त तथ्यों का अंकन किया गया है। इस तरह अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 22/2012 में परस्पर विरोधाभाषी शपथपत्र पेश किये गए है। अतः हस्तगत अपील अवधिबाधित होने से खारिज फरमाई जाए। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा पूर्वोक्त प्रकरण संख्या 22/2012 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गईं, जो शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत नागान्तरकरण अपील को सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज किया गया था, अतः अपील को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने से पूर्व मियाद के प्रश्न का विनिश्चय आवश्यक है।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर सशपथ यह अंकन किया है कि अपीलाण्ट को जैर अपील आलोच्य नागान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.12.2023 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर हुई। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलाण्ट के द्वारा वर्ष 2012 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में एक वाद गय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक, 09.04.2012 को प्रकरण संख्या 22/2012 के रुप में दर्ज हुआ था तथा उक्त प्रकरण में ज़ैर अपील विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगायत चार को पक्षकार संयोजित करते हुए अनुतोष चाहा गया था।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी जाहिर किया कि कि प्रश्नगत आराजी में रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगायत चार के नाम इन्द्राज की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 09.04.2012 से ही है और इस प्रकार उनके द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में झूठे कथनों का अंकन कर तथा झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए मियादबार यानि अवधिबाधित नागान्तरकरण अपील प्रस्तुत की है, जिसे खारिज फरमाया जाए।

इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथा मिसाल में सलंग्न पूर्वोक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 22/2012 की प्रमाणित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री प्रेमाराम पुत्र चौथाराम जी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र **दिनांक 09.04.2012** को प्रस्तुत किया गया, जिसमें अप्रार्थीगण के रुप में संयोजित कुल सताईस पक्षकारों में विचाराधीन नागान्तरकरण अपील में रेस्पोडेण्ट के रुप में संयोजित चारो पक्षकारों को भी अप्रार्थीगण के रुप में संयोजित किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में मौजा तखतगढ़ की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 532 लगायत 536 तथा 536/1011 को 'वादग्रस्त आराजी' के रुप में सम्बोधित करते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही गई थी। **दस्तावेजों के फ़ौरी अवलोकन मात्र से ही ज़ाहिर है कि हस्तगत नागान्तरकरण अपील से सम्बन्धित**

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 77/2024
उनवान : पेमाराम उर्फ प्रेमाराम बनाम शान्ति देवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

भूमि खसरा संख्या 532 से 536 तथा पूर्वोक्त प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 22/2012 की वादग्रस्त आराजी समान है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में प्रस्तुत पूर्वोक्त निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के पेराग्राफ चार में अपीलाण्ट/ प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट अंकन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 13 (जिनमें रेस्पो. संख्या एक लगायत चार शामिल है) वादग्रस्त कृषि भूमि के सहखातेदार होने से उन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया है। साथ ही, अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा उक्त निषेधाज्ञा प्रा.पत्र के साथ प्रस्तुत फहरिस्त दस्तावेज के द्वारा पूर्वोक्त कृषि भूमियों की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 भी प्रस्तुत किया जाना दस्तावेजों से साबित होता है। ज़ाहिर है कि हस्तगत नामान्तरकरण अपील से सम्बन्धित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्टगण के नामों के इन्द्राज की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 09.04.2012 से ही थी जब उनके द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 22/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में प्रस्तुत किया गया था।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक़्त बहस इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया है कि पूर्वोक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 22/2012 के प्रार्थी तथा हस्तगत नामान्तरकरण अपील के अपीलाण्ट समान व्यक्ति ही हैं, यद्यपि उन्होंने यह तर्क अवश्य प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 22/2012 में ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण का उल्लेख नहीं है, अतः यह पूर्वधारणा नहीं की जा सकती कि अपीलाण्ट को इसकी जानकारी पूर्व से ही है। किन्तु अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का इन्द्राज नामान्तरकरण के ज़रिए ही होता है तथा अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 22/2012 में यह स्वीकार किया है कि ज़ैर अपील आलोच्य कृषि आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्ट बतौर सहखातेदार दर्ज है।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पूर्वोक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 22/2012 के पेराग्राफ संख्या तीन में अपीलार्थी/प्रार्थी ने वंशावली सज़रा के द्वारा स्वयं को चौथाराम का पुत्र तथा रेस्पोडेण्ट्स को स्वर्गीय छोगाराम के वारिस दर्शातें हुए अपने जायन्दा पिता श्री चौथाराम की पुश्तैनी कृषि आराजी में स्वयं का हक हकूक माना है, जबकि हस्तगत अपील में उन्होंने स्वयं को स्व. छोगाराम का गोदपुत्र मानते हुए उनकी खातेदारी भूमि में हिस्सा चाहा है।

अपीलाण्ट द्वारा इस अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित अपने इस कथन के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 18.12.2023 को हुई, जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 22/2012 में भी उन्होंने शपथपत्र दिनांक 09.04.2012 प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलाण्ट स्वीकार करते है कि विवादग्रस्त कृषि आराजी में रेस्पोडेण्टगण बतौर सहखातेदार दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों ही शपथपत्र परस्पर विरोधाभाषी है। जब अपीलाण्ट को विवादग्रस्त कृषि आराजी में रेस्पोडेण्टगण के बतौर सहखातेदार दर्ज होने की जानकारी दिनांक 09.04.2012 को ही थी, तो हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित यह तथ्य काल्पनिक एवं असत्य सिद्ध होता है कि उन्हें आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.12.2023 को हुई क्यों कि ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण के ही खसरा संख्या 75 एवं 532 लगायत 536 में रेस्पोडेण्ट्स बतौर सहखातेदार दर्ज हुए थे। अतः काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क भी प्रमाणित पाया जाता है कि अपीलाण्ट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है।

संक्षेप में, अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर में पूर्व में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 22/2012 के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादग्रस्त कृषि आराजी का रेस्पोडेण्ट्स की सहखातेदारी भूमि के रुप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की जानकारी अपीलाण्ट को उक्त प्रार्थना पत्र की प्रस्तुतीकरण तिथि 09.04.2012 से ही रही है तथा हस्तगत मियाद प्रार्थना पत्र में दिनांक 18.12.2013 को सर्वप्रथम जानकारी होने का उनका कथन असत्य, एवं काल्पनिक अंकन मात्र है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 77 / 2024

उनवान : पेमाराम उर्फ प्रेमाराम बनाम शान्ति देवी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

जैसा कि विभिन्न माननीय न्यायालयों ने समय समय पर प्रतिपादित किया है कि अपील को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने से पूर्व मियाद के प्रश्न का निर्धारण आवश्यक है। माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा भी अपने नवीनतम निर्णय प्रकरण वउनवान 'सिराजद्दीन बनाम मोहम्मद अली' निर्णय दिनांक 02.05.2024 (RRT 2024 (2) 1095) में भी यही प्रतिपादित किया है कि **"No any order can be passed on merits without deciding the question of limitation first"**

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण **"Ramlal & othr. Vs. Rewa Coalfield LTD." AIR 1962 SC 361** में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का उद्धरण करना प्रासंगिक है कि:–

"It is however necessary to emphasise that even after sufficient cause has been shown a party is not entitled to the condonation of delay as a matter of right. The proof of sufficient cause is a condition precedent_ _ _ _. If sufficient cause is not proved nothing further has to be done; the applicantion for condoning delay has to be dishmissed on that ground alone."

भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी वाद, अपील या आवेदन निर्धारित समयावधि के बाद पेश की जाती है तो वह खारिज किया जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 05 के अनुसार कोई अपील या आवेदन समयावधि के बाद पेश किया जाता है तो आवेदनकर्ता न्यायालय को सन्तुष्ट करेगा कि वह पर्याप्त कारणों से ऐसी अपील या आवेदन समयावधि से पेश नही कर सका।

हस्तगत विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण अपील को विलम्ब से प्रस्तुत करने का ऐसा कोई युक्तियुक्त, पर्याप्त व सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया है, जिस आधार पर उनके द्वारा देरी के उपशमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाए। बल्कि अपीलार्थी द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों का अंकन कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का कुत्सित प्रयास भी किया गया है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत विलम्ब के उपशमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा हस्तगत नामान्तरकरण अपील बेरुन मियाद होने से अपास्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)